न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 15/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. कचरूलाल पिता वेलाजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रामजी पिता वेलाजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. कुबेर पिता वेलाजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्रीमती अलखी पत्नी वेलाजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती नवल पत्नी मावजी पिता टोडर पटेल, निवासी ओडाबडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कचरा पिता हेंगजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. देवीलाल पिता कुबेरजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. लक्ष्मणसिंह पिता जवानसिंह राजपूत, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर हाल तहसीलदार बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 13.10.2017, प्र. सं. 55/04

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री दिनेश चौबीसा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एस. भटनागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1, 2

———::———

निर्णय दिनांक 17—02—2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गामडी अहाडा में वाद पत्र की कलम संख्या 5 वर्णित भूमियां स्थित हैं। उक्त भूमियों का कब्जा करने का वाद प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मणसिंह की ओर से उनकी माता बालकुंवर एवं चंचरकुंवर विधवा जवानसिंह राजपूत ने मुकदमा नंबर 1/57 धूला पिता दोला, मोगा पिता जगन्नाथ व अन्य के विरूद्ध सहायक कलक्टर डूंगरपुर का पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23—06—1958 से निरस्त कर दिया, जिसकी लक्ष्मणसिंह द्वारा कोई अपील नहीं की गयी। वादीगण के पूर्वज धूला के समय से वादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु धूला की जानकारी के बगैर खाते में लक्ष्मणसिंह का नाम अंकित कर दिया गया। अतः विवादित आराजी नंबर 1584 रकबा 4 बिस्वा, 1585 रकबा 6 बिस्वा, 1586 रकबा 3 बिस्वा, 1587 रकबा 3 बिस्वा, 1588 रकबा 19 बिस्वा, 1589 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 1590 रकबा 4 बिस्वा, 1591 रकबा 5 बिस्वा, 1592 रकबा 7 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन कि वाद संख्या 1/57 में पारित निर्णय दिनांक 23—06—1958 के बाद राजीनामा दिनांक 19—07—1998 से भूमि लक्ष्मणसिंह के खाते एवं कब्जे में रही, जिसके द्वारा पंजीकृत विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

उक्त जवाबदावे का वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 23 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13—10—2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07—12—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री एस. भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट दोनों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर हैं।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों पर पृथक–पृथक निर्णय पारित नहीं किया है। राजीनामा/इकरारनामा को प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह ने किसी स्वतंत्र गवाह से प्रमाणित नहीं करवाया है तथा स्वयं अपने बयानों में कथन किया है कि सन् 1957 में प्रस्तुत किये गये वाद का निर्णय हो जाने के पश्चात उक्त आराजियात का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही या मुकदमा वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 19–07–1958 को सम्पादित तहरीर से विक्रय विलेख सम्पादित करने की दिनांक तक प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह का कब्जा ही नहीं था, जबकि वादीगण का सन् 1930 से निरन्तर बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है, जिसे वादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कराया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि राजीनामे के तहत कब्जा लक्ष्मणसिंह द्वारा प्राप्त करने के कारण ही धूला ने विवादित भूमि के कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद अपने जीवनकाल में प्रस्तुत नहीं किया है तथा लक्ष्मणसिंह द्वारा अपने खाते एवं कब्जे की भूमि का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को करने के बाद अपीलान्टगण द्वारा दुर्भावनावश वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए खारिज किया है, जो विधि अनुसार होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक निर्णय नहीं किया है, किन्तु तनकी नंबर 1, 3, 9, 13, 16 व 17 समान प्रकृति की होने से उनका उपलब्ध दस्तावेजी एवं

मौखिक साक्ष्यों के आधार पर एक साथ विवेचन करते हुए अपने विस्तृत विवेचन में उक्त तनकियों का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2, 7, 8 व 18 समान प्रकृति की होने से उक्त तनकियों का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है तथा इसी प्रकार तनकी नंबर 4, 5, 6, 10, 14 व 19 समान प्रकृति की होने से उक्त तनकियों का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 12, 20, 21 व 22 समान प्रकृति की होने से उक्त तनकियों का निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है। अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त तनकीवार विस्तृत विवेचन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार अपना अभिमत पारित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13—10—2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17—02—2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

कचरूलाल पिता वेलाजी पटेल, नि. गामडी अहाडा, त. डूंगरपुर हाल त. बिछीवाड़ा, जि. डूंगरपुर व अन्य

बनाम

कचरा पिता हेंगजी पटेल, निवासी गामडी अहाडा, तहसील डूंगरपुर हाल त. बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं............**15/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**बिछीवाड़ा**.......... मुकाम................मुवर्खे..............**13**...............माह..............**10**.............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**17**.....माह........**02**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री दिनेश चौबीसा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री एस. भटनागर**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13—10—2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**17**......माह.......**02**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:19:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: